संख्या-179/2017/3246/26-3-2017-4(97)/93

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 24 नवम्बर, 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सहायता हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1654-56/स0क0/विकास/उत्पीड़न/03/2017-18 दिनांक-17.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजतियों को सहायता हेतु लेखाशीर्षक-2225-01-789-01-11-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिये भुगतान मद में धनराशि रूपया-4000.00 लाख (रूपया चालीस करोड़ मात्र) को अनुदान संख्या-83के लेखाशीर्षक-2235-60-789-04-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध धनराशि रूपया-63784.00 लाख (रूपया छः अरब सैतिस करोड़ चौरासी लाख मात्र) से पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

2- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंकखाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-वृद्धावस्था/किसान पेंशन(राज्य सेक्टर)-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

संख्या- 179/2017/3246(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या-83- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) वित्तीय वर्ष 2017-18 (रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।		
लेखाशीर्षक-15 डिजिटल कोड में	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट में	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2235-60-789-04-00-20 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यक्रम 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 04-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर) 00- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	63784.00	4000.00	4000.00	4000.00	59784.00	**2225-01-789-01-11-20** 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कलयाण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 11-अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों/जनजातियों को सहायता (50 प्रतिशत भारत सरकार जिला योजना) (के.50/रा.50) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4500.00	8500.00	4000.00	4000.00	8500.00
योग	63784.00	4000.00	4000.00	4000.00	59784.00		4500.00	8500.00	4000.00	4000.00	8500.00

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

क-आवश्यकता के अनुसार बजत है।

2-स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्न कारणों से है:- क-मानक मद में राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0- 98 /ई-3- /दस-2017 दिनांक- 22 नवम्बर, 2017

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

p

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या-179/2017/ 3246 /(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6 कोशाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0।
9 गार्डफाइल

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।